न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी,एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 108/2021

GCMS NO. : 2021/167

–: प्रार्थीगण:– बनाम –: अप्रार्थी :–

1. देवाराम पुत्र महाराम फौत के कायम मुकाम
   1.1 बिदामी पत्नी देवाराम
   1.2 प्रकाशचंद पुत्र देवाराम
   1.3 तिजीदेवी पुत्री देवाराम
   1.4 इन्द्रादेवी पुत्री देवाराम
   1.5 छोटूदेवी पुत्री देवाराम
2. कानाराम पुत्र महाराम फौत के कायम मुकाम
   2.1 बगदूडी पत्नी कानाराम
   2.2 जीवणराम पुत्र कानाराम
   2.3 संतोष देवी पुत्री कानाराम
   2.4 जडावली पुत्री कानाराम
   2.5 गणपती पुत्री कानाराम
   2.6 श्रवणराम पुत्र कानाराम

   जातियान कुमावत निवासीगण धनेरिया तहसील जैतारण।

1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला–पाली

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:. 07/07/2021

उपस्थित:– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री राजुराम कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 16/06/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के पति व पिता के कब्जे काश्त की पैतृक पुश्तैनी सम्पति सरहद मौजा धनेरिया पटवार हल्का केकिन्दड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली की सीमा में खसरा संख्या 145 रकबा 1.9344 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 150 रकबा 1.6592 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 431 रकबा 1.9749 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 433 रकबा 0.1295 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 435 रकबा 0.2428 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 438 रकबा 1.6349 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, ख[illegible]94 रकबा 9.1540 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल ख[illegible]7297 हैक्टर की कृषि भूमि संयुक्त सामलाती आई [illegible] के स्वर्गीय दादा महाराम पुत्र उमाराम के जरिएं फौतेदगी म्युटेशन के प्रार्थी[illegible] पति व पिता स्व[illegible] देवाराम व स्वर्गीय कानाराम प्राप्त हुई। नकल जमाबंदी साथ पेश है। प्रार्थीगण की उक्त पैतृक पुश्तैनी सम्पति में प्रार्थीगण के दादा महाराम पुत्र उमाराम के फौत होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

फौतेदगी म्युटेशन संख्या 206 दिनांक 23.07.1976 को पारित करते समय प्रार्थीगण के पति व पिता स्वर्गीय देवाराम स्वर्गीय कानाराम, स्वर्गीय महाराम की विधिक वारिसान जिंदा संतान है जिसका नाम लिपिकीय त्रुटिवश सदभाविक भूल एवं घर में बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले प्रार्थीगण संख्या 1 देवाराम का नाम दाना तथा प्रार्थीगण संख्या 2 कानाराम का नाम माना लिख दिया गया। जबकि प्रार्थीगण संख्या 1 का सही व वास्तविक नाम देवाराम है इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 2 का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम कानाराम है तथा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित पैतृक पुश्तैनी आराजी के अलावा प्रार्थीगण के दादा स्वर्गीय महाराम पुत्र उमा के नाम की अन्य खातेदारी भूमि जो सरहद मौजा धनेरिया पटवार हल्का केकिन्दड़ा में खसरा संख्या 286 आई हुई है जिसका प्रार्थीगण के दादा महाराम पुत्र उमा के फौत होने पर फौतेदगी म्युटेशन राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो द्वारा पारित किया गया उसमें प्रार्थीगण के पति व पिता का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम देवाराम व कानाराम का इन्द्राज चला आ रहा है जिसके राजस्व रेकर्ड की नकले भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के होने एवं कानूनी जानकारी नही होने से उक्त गलत दर्ज किए गये नामो के कारण कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं अर्द्धसरकारी योजनाओ से पीछे रहना पड़ रहा है प्रार्थीगण के पति व पिता देवाराम व कानाराम के फौत होने पर प्रार्थीगण ने अपने नाम से फौतेदगी नामान्तरण दर्ज करने हेतू दिनांक 30.06.2021 को पटवारी हल्का धनेरिया को निवेदन किया तब पटवारी हल्का ने राजस्व रेकर्ड देखकर बताया कि आपके पति व पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में देवाराम के स्थान पर दाना एवं कानाराम के स्थान पर माना गलत दर्ज चला आ रहा है इसलिए मै आपके पक्ष में फौतेदगी नामान्तरण पारित नही कर सकता हूँ तब प्रार्थीगण ने उसी दिनांक को पटवारी एवं तहसीलदार जैतारण को उक्त रेकर्ड दुरूस्त करने एवं प्रार्थीगण के पति व पिता का जो दाना पुत्र महाराम व माना पुत्र महाराम नाम लिख दिया गया है उसे दुरूस्त कर सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम देवाराम पुत्र महाराम व कानाराम पुत्र महाराम लिखने का निवेदन किया लेकिन राजस्व अधिकारियो द्वारा सक्षम न्यायालय से रेकर्ड दुरूस्त करवाने बाबत् आदेश लाने का कथन किया तथा प्रार्थीगण अपनी पैतृक पुश्तैनी सम्पति में अपने पति व पिता का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम देवाराम पुत्र महाराम व कानाराम पुत्र महाराम दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्त करने रेकर्ड श्रीमान के समक्ष पेश है। अन्य सहखातेदारो एवं सहकाश्तकारो के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहने से उन्हे आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान को प्राप्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र मय निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:21 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 अनुसार

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

ग्राम धनेरिया के खसरा संख्या 145, 150, 431, 433, 435, 438 व 94 कुल रकबा 16.7297 हैक्टर संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है। उक्त भूमि पूर्व में महाराम पुत्र उमा के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज थी। यह सही है कि महाराम पुत्र उमाराम की फौत होने पर उनके वारिसान घेवर, दाना, माना के नाम से नामान्तरण दर्ज हुआ था, तथा यह भी सही है कि ग्राम धनेरिया के खसरा संख्या 286 की भूमि पूर्व में महाराम पुत्र उमाराम के नाम दर्ज थी, वर्तमान जमाबंदी में उक्त भूमि उनके पुत्र घेंवरराम, देवाराम व कानाराम के वारीसानो के नाम दर्ज है। भू अभिलेख निरीक्षक लाम्बिया द्वारा की गई जांच एवं फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार दाना का सही नाम देवाराम व माना का सही नाम कानाराम है। अतः ग्राम धनेरिया तहसील जैतारण के अन्य खसरा संख्या 286 में भी महाराम का नाम घेवरराम, देवाराम व कानाराम दर्ज होने से दाना पुत्र महाराम के स्थान पर देवाराम पुत्र महाराम व माना पुत्र महाराम के स्थान पर कानाराम पुत्र महाराम दुरूस्त किया जाना उचित है। बहस सरकारी पैरोकार एवं वकील प्रार्थी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील जैतारण ग्राम धनेरिया में स्थित आराजी खसरा संख्या 145 रकबा 1.9344 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 150 रकबा 1.6592 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 431 रकबा 1.9749 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 433 रकबा 0.1295 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 435 रकबा 0.2428 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 438 रकबा 1.6349 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 94 रकबा 9.1540 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा संख्या 7 कुल रकबा 16.7297 हैक्टर जिसमें प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के पति एवं पिता की मृत्यु उपरांत फौतदेगी नामान्तरण संख्या 206 दिनांक 23.07.1976 स्वीकृत करते समय सहवन से घर में बोलचाल की भाषा में प्रयोग किये जाने वाले प्रार्थीगण संख्या 1 देवाराम का नाम दाना तथा प्रार्थीगण संख्या 2 कानाराम का नाम माना दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थीगण का सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः देवाराम एवं कानाराम है। अतः प्रार्थीगण के पति एवं पिता का राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपूर्ण नाम दुरूस्त करवानें का आदेश प्रदान करावें।

2. अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम धनेरिया के खसरा नम्बर 145, 150, 431, 435, 438 व 94 के खातेदार महाराम पुत्र उमाराम के फौत होने पर जरिये फौतदेगी नामान्तरण से उनके वारिसान के रूप में घेवर, दाना, माना का नाम दर्ज किया गया तथा ग्राम धनेरिया के खसरा नम्बर 286 की भूमि पूर्व में महाराम पुत्र उमाराम के नाम दर्ज थी तथा वर्तमान में जमाबन्दी में उक्त भूमि उनके पुत्र घेवरराम, देवाराम व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

कानाराम के वारिसानों का नाम दर्ज। भू अभि. नि. लाम्बिया द्वारा की गई जांच एवं फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार दाना का सही नाम देवाराम व माना का सही नाम कानाराम है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात ग्राम धनेरिया तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 145, 150, 431, 435, 438 व 94 जमाबंदी में घेवरराम पुत्र महाराम, दाना पुत्र महाराम, माना पुत्र महाराम, शिवराम पुत्र भोला, सुखाराम पुत्र भोला जातियान- कुम्हार, सा. देह खातेदार दर्ज है। जबकि ग्राम धनेरिया की खसरा संख्या 286 में घेवरराम पुत्र महाराम, जीवणराम पुत्र कानाराम, देवाराम पुत्र महाराम, बगदुड़ी पत्नी कानाराम, नाबालिग नाबा. श्रवणराम पुत्र कानाराम सरंक्षक माता बगदुड़ी जाति कुम्हार बतौर खातेदार दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत केकिन्दड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ग्राम धनेरिया के खसरा संख्या 286 की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 क्रमशः देवाराम व कानाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड तथा प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के वारिसानों के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः देवाराम एवं कानाराम दर्ज है।

अतः उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर यह स्पष्ट है कि दाना का सही एवं वास्तविक नाम देवाराम तथा माना का सही एवं वास्तविक नाम कानाराम है, जो कि ग्राम धनेरिया निवासी महाराम के पुत्र है। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि होती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भलीभांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार योग्य है। तथा वादग्रस्त आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज प्रार्थीगण के पति एवं पिता के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि दाना पुत्र महाराम एवं माना पुत्र महाराम को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के क्रमशः दाना का सही एवं वास्तविक नाम देवाराम तथा माना का सही एवं वास्तविक नाम कानाराम दर्ज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा धनेरिया पटवार हल्का केकिन्दड़ा भू अभिलेख निरीक्षक लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली की सीमा में खसरा संख्या 145 रकबा 0.9344 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 150 रकबा 1.6592 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 431 रकबा 1.9749 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 433 रकबा 0.1295 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 435 रकबा 0.2428 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 438 रकबा 1.6349 हैक्टर किस्म बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

दोयम, खसरा संख्या 94 रकबा 9.1540 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा संख्या 7 कुल रकबा 16.7297 हैक्टर की कृषि भूमि के भू अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि ***"दाना पुत्र महाराम" एवं माना पुत्र महाराम"*** को विलोपित करते हुये दाना पुत्र महाराम के स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम **"देवाराम पुत्र महाराम"** एवं माना पुत्र महाराम के स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम **"कानाराम पुत्र महाराम"** दर्ज करते हुये भू अभिलेख में अद्यतन एवं परिशुद्ध किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक इन्द्राजात् करते हुये भू अभिलेख को अद्यतन एवं परिशुद्ध करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक **16/06/2022** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:21 IST
Reason: SelfAttested